प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 120 /जी–5–19ए/14, दिनांक 10 नवम्बर, 2014

विषय– उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–161 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–आर–1066/ जी–5–19ए/14, दिनांक 06 जून, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। परिषद के संज्ञान में लाया गया था कि ऐसे अनेक विनिमयों में, जिनमें एक पक्ष ग्राम सभा/स्थानिक प्रधिकारी है, मौरूसी दर के अंतर के आधार पर विनिमय की अनुमति प्रदान करने से ग्राम सभाओं को वित्तीय क्षति हो रही है। वस्तुतः ऐसी भूमियों की सर्किल रेट में काफी अंतर होता है और ऐसे विनिमयों में सर्किल रेट के आधार पर आंकलन न करने पर ग्राम सभा के वित्तीय हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि विनिमय के कतिपय प्रकरणों में सहायक कलेक्टर मात्र मौरूसी दरों के अन्तर के आधार पर बगैर सम्यक विचारोपरान्त विनिमय की अनुमति दे देते हैं। अनेकों प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि नियम 145 के अन्तर्गत ग्राम सभा तथा अन्य सम्बद्ध पक्षकारों को आवश्यक (mandatory) नोटिस दिए बिना नियमों के उल्लंघन में आदेश पारित किए जा रहे हैं। इससे ग्राम सभा/ स्थानिक प्राधिकारी की ओर से समुचित पैरवी के अभाव में ग्राम सभा व राज्य सरकार को वित्तीय हानि होती है। उक्त पृष्ठ भूमि में नीतिगत निर्णय लेने तक ऐसे विनिमयों को उक्त परिषदादेश दिनांक 06–06–2014 द्वारा स्थगित किया गया था।

2– अतः ऐसे विनिमयों के प्रकरणों में जिसमें एक पक्ष ग्रामसभा हो, ग्राम सभा/ स्थानिक प्राधिकारी के हितों को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से मा0 परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परिषदादेश दिनांक 06–06–2014 को अवकमित करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं :–

(i) इस प्रकार के प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली तहसील की आख्या में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में प्राविधानित मौरूसी दर के अतिरिक्त विनिमय की जा रही भूमियों के सर्किल रेट के आधार पर किए गए मूल्यांकन को आवश्यक रूप से इंगित किया जायेगा। सर्किल

रेट का अर्थ वही होगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा स्टाम्प हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 तथा उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली में है।

(ii) तहसील रिपोर्ट के साथ विनिमय की जा रही भूमियों का नक्शा नजरी भी दिया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से मुख्य सड़क से भूमियों की दूरी आवश्यक रूप से दर्शाई जायेगी।

(iii) तहसील रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरान्त, नियम 145 की व्यवस्था के अनुरूप सम्बद्ध पक्षकारों (parties), पट्टेदारों, बन्धकियों (mortgagees) या अन्य भारों के ग्रहीताओं (holders of other encumbrances) तथा भूमि प्रबन्धक समिति को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से नोटिस जारी किया जायेगा। यदि सहायक कलेक्टर के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि सर्किल रेट के आधार पर मूल्यांकन करने पर ग्राम सभा की भूमि एवं भूमिधर की भूमि की मालियत में अधिक अंतर है, तो वह भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से उपस्थित साक्षियों से अपनी सन्तुष्टि कर लेंगे कि ऐसे विनिमयों के पक्ष में पारित किए गए प्रस्ताव युक्तियुक्त हैं एवं जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर ऐसे वादों में आदेश पारित करते समय इनका उल्लेख करते हुए अपना सुविचारित मत अंकित करेंगे कि ग्राम सभा/स्थानिक प्राधिकारी को होने वाली वित्तीय क्षति के पश्चात भी ऐसे विनिमय की अनुमति दिया जाना क्यों आवश्यक है।

(iv) ऐसे विनिमय के प्रकरणों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। यदि जिलाधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि किसी प्रकरण विशेष में ग्राम सभा/ स्थानिक प्राधिकारी के हित पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, तो वह समयान्तर्गत सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी नियोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– गार्ड फाईल।

(आलोक कुमार)
आयुक्त एवं सचिव।